संसद के समक्ष अभिभाषण – 23 जनवरी 1980

लोक सभा	-	सातवीं लोक सभा
सत्र	-	सातवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री एम. हिदायतुल्लाह
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

सातवीं संसद के इस पहले संयुक्त सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी है। नई लोक सभा के सदस्यों का मैं अभिनन्दन करता हूं।

छठी लोक सभा मार्च, 1977 में निर्वाचित हुई थी लेकिन यह अपनी पूरी अवधि तक नहीं चल पाई और आधी अवधि से पहले ही इसे विघटित करना पड़ा। इसके विघटन के बाद कुछ महीनों तक देश का शासन बिना लोक सभा के ही चलाना पड़ा। संतोष की बात है कि अब पिछले कुछ महीनों की अस्थिरता समाप्त हो गई है। भारत के लोगों ने क्षेत्रीय, भाषायी, वर्गीय व सांप्रदायिक भेदभावों पर आधारित विचारधाराओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये असंदिग्ध रूप से अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने ऐसे लोगों की सरकार को चुना है जिन्हें देश के सभी वर्गों और जनता के सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त है। चुनावों के नतीजे से ही यह हो पाया है कि अब हमारा देश केन्द्र में स्थायी शासन की आशा कर सकता है।

खेद का विषय है कि कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों के कई चुनाव हल्कों के नुमाइन्दे आज यहां हमारे बीच नहीं हैं। इस इलाके की, और इस समय खासतौर से असम की समस्याओं को तत्काल, सभी ओर से आपस में मेलजोल और भाईचारे की भावना से, हल करने की जरूरत है। इन समस्याओं का शीघ्र हल खोजने और हिंसा को खत्म करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार सभी वर्गों से अपील करती है कि वे इसके लिए सही माहौल पैदा करने के काम में उसका हाथ बटाएं।

राष्ट्र-विरोधी शक्तियां हमारी सीमाओं पर सक्रिय हो गई हैं जिससे हमारी सुरक्षा के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है। देश के कई हिस्सों में साम्प्रदायिक और दूसरी विभाजक शक्तियां भी सर उठा रही हैं जिस सबब से राष्ट्रीय अखण्डता और राष्ट्रीय एकता के आदर्शों को गहरी चोट पहुंच रही है। भाषायी और दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों, हरिजनों और समाज के कमजोर तबकों की आस्था को गहरी ठेस लगी है। अपराधों में बढ़ोतरी होने की वजह से और उनका पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए किए गए नाकाफी उपायों के कारण कानून-प्रिय लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। कानून के प्रति अनादर और चारों ओर फैली अनुशासनहीनता ने उत्पादन के प्रयासों की गति धीमी कर दी है।

मौजूदा सरकार को विरासत में मिली आर्थिक स्थिति गहरी चिन्ता और बेचैनी का विषय है। पिछले वर्ष मुद्रास्फीति का कुचक्र देखने में आया जिससे मूल्यों में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन को भारी धक्का लगा है और औद्योगिक उत्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई है। बुनियादी संरचना में गतिरोध आने से, खासतौर से देश के कुछ भागों में, इस्पात और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इस कारण हमें महंगे आयात करने पड़े हैं जबकि भारी लागत से बनी देशी क्षमता निष्क्रिय पड़ी है। कोयले के उत्पादन में भी वृद्धि नहीं के बराबर हुई है। निर्यातों में वृद्धि की दर घट गई है और व्यापार-शेष भारी घाटे में चल रहा है। कारगर प्रबंधन के अभाव में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ गई है। औद्योगिक संबंध खराब हो गए हैं और सारे औद्योगिक क्षेत्र में मनोबल गिर गया है।

लोगों ने नई सरकार को जो विराट और व्यापक विश्वास दिया है उसमें उनकी यह चाह दिखाई देती है कि कानून और व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई उसे रोक कर उसमें सुधार किया जाए। सरकार लोगों को यह आश्वासन देना चाहती है कि वह जरूर इसी दिशा में मजबूती और तेजी के साथ कदम उठाएगी।

सरकार का भरसक प्रयत्न होगा कि अव्यवस्था का दमन किया जाए और सभी लोगों में, खासतौर से कमजोर वर्गों में, विश्वास की भावना फिर से पैदा की जाए, केन्द्र और राज्यों के स्तर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सक्रिय किया जाएगा, ताकि समस्याओं को तत्परता और कारगर तरीके से हल किया जा सके।

माननीय सदस्यगण, नई सरकार ने कोई एक हफ्ता हुए काम संभाला है। बजट अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इस समय सरकार के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाए जाने वाले सामाजिक और आर्थिक उपायों के बारे में बताया जाएगा। फिर भी ऐसे कुछ मामले हैं जिनका आज जिक्र करना जरूरी है।

सरकार दुहराना चाहेगी कि वह अब भी यही विश्वास करती है कि योजना के रास्ते से ही हम सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमें राष्ट्र-निर्माण का महान् कार्य फिर से दुगने उत्साह से शुरू करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां खुशहाल और बेहतर जिन्दगी की आशा कर सकें।

सरकार देश की आर्थिक स्थिति सुधारने की ओर तुरंत ध्यान देगी। मूल्यों के नियंत्रण के लिए उपाय किए जाएंगे। तस्करों, जमाखोरों और कालाबाजारियों जैसे समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है। गरीबों, भूमिहीन लोगों, दस्तकारों, हथकरघा बुनकरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के दूसरे वर्गों के लिए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वरदान सिद्ध हुआ था, उसमें नई जान डालकर, अब उसे कारगर तरीके से अमल में लाया जाएगा। पांचवीं योजना में शुरू किए गए न्यूनतम-आवश्यकता कार्यक्रम को फिर एक बार उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस सिलसिले में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाएगा।

सरकार की यह नीति होगी कि कृषि और ग्रामीण विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए जिसमें छोटे और सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को मदद देने पर खास जोर दिया जाएगा। व्यापक सूखे के कारण पैदा हुई मुसीबत को कम करने की ओर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। उर्वरक, ऋण, पानी, बिजली, डीजल, मिट्टी का तेल आदि वस्तुओं की समय पर उचित सप्लाई सुनिश्चित करते हुए, किसानों को अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की सहायता दी जाएगी। इसके लिए राज्य-सरकारों का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त किया जाएगा। सरकार का यह प्रयत्न होगा कि किसान को अपनी उपज का उचित लाभकारी मूल्य अवश्य मिल सके। कृषि के सतत विकास की व्यवस्था करते हुए सरकार तिलहनों जैसी वस्तुओं के उत्पादन की तरफ ज्यादा ध्यान देगी ताकि इस प्रकार की जरूरी चीजों के लिए हमें दूसरे देशों का आसरा न लेना पड़े।

बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब होने से परिवहन-व्यवस्था में रुकावटें आ गई थीं और इस्पात, सीमेंट, कोयला और बिजली जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की सप्लाई अपर्याप्त हो गई थी, अब इनमें सुधार लाकर इन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। लगातार देखभाल तथा ठीक वक्त पर सही कार्रवाई करके यह सुनिश्चत किया जाएगा कि रेलों और जहाजों द्वारा यातायात के कामों में दक्षता रहे और बन्दरगाहों पर माल की शीघ्र निकासी हो।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का संबंध है, मौजूदा क्षमता के बेहतर उपयोग, सुधरे हुए श्रम-संबंधों और खासतौर से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर संचालन द्वारा उत्पादन में तेजी के साथ वृद्धि पर जोर दिया जाएगा। कृषि और उद्योग, दोनों क्षेत्रों के बेहतर प्रबंध के द्वारा निर्यातों को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

देश के सामने ऊर्जा का भयानक संकट है। हम ऊर्जा की बढ़ती हुई कीमतों और उसकी सप्लाई में संभावित कमियों के दौर से गुजरने वाले हैं। सरकार का ऊर्जा के बारे में एक ऐसी व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का प्रस्ताव है जिसमें परम्परागत और

गैर-परम्परागत, दोनों प्रकार के नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के पूरे-पूरे उपयोग पर जोर दिया जाए।

पर्यावरण के लगातार दूषित होने से क्या आज और क्या भविष्य में देश और जनता दोनों की खुशहाली के लिए खतरा पैदा हो गया है। वनरोपण, बाढ़-नियंत्रण, भू-संरक्षण, वनस्पति और जीव-जन्तुओं की रक्षा, भूमि के उचित उपयोग की योजना, जल और वायु प्रदूषण का नियंत्रण, और उद्योगों को सही स्थानों पर लगाने के कामों को तुरन्त हाथ में लिया जाना चाहिए। सरकार एक ऐसा विशिष्ट तंत्र गठित करने जा रही है जिसे सभी योजनाबद्ध विकास में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के उपायों को शामिल करने का पूरा-पूरा अधिकार होगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को सशक्त किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि अनुसंधान और विकास दोनों को राष्ट्रीय प्रयास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित स्थान मिले।

सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी वचनबद्धता को दुहराती है। वह सभी छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के विकास के लिए हर संभव प्रोत्साहन देने में विश्वास रखती है। इनमें प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्र भी शामिल होंगे।

स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक आवश्यक सहवर्ती तत्व है। सरकार की तीव्र इच्छा है कि हमारी कानून पद्धति में न्याय मिलने में देर न लगे और कोई भी नागरिक आर्थिक अथवा अन्य किसी असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे। इसके और दूसरे संबंधित मामलों के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

सरकार धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि अल्पसंख्यक वर्ग, अपनी स्वतंत्र सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित रखते हुए, राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान भागीदारी का अनुभव कर सकें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को आश्वस्त करने के लिए विधेयक अगले सत्र में लाया जाएगा।

जैसी हमारी राज्य-व्यवस्था है उसमें कारगर तरीके से काम करने के लिए यह जरूरी है कि केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध हों। केन्द्रीय सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे अच्छे संबंध बने रहें और पुष्ट हों।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, सरकार गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर चलेगी। भारत हमेशा इस बात पर अटल रहा है कि अपनी विदेश-नीति का निर्माण करने में वह अपने ही विवेक से काम लेने के लिए स्वतंत्र है। अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के रास्ते से हमको कोई भी दबाव व प्रलोभन नहीं हटा पाए हैं। हमारी सरकार का इरादा है कि वह इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए हमारे मूल लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग पर बिना किसी डर या

पक्षपात के आगे बढ़े। सरकार गतिशील, सकारात्मक और संघटनकारी नीति का अनुसरण करेगी। सरकार की कोशिश होगी कि विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को कम किया जाए ताकि स्थायी शांति स्थापित हो और विश्व की समृद्धि में सभी को समुचित हिस्सा मिल सके। सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान तथा एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति के आधार पर, वह सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेगी और उन्हें सुदृढ़ करेगी।

क्या हमारे क्षेत्र में और क्या हमारे पड़ोस में, बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप और हथियारों के आने से न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि सारे क्षेत्र के लिए, एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। अफगानिस्तान में हुई हाल की घटनाएं शीत युद्ध की स्थिति फिर से पैदा होने का स्पष्ट संकेत देती हैं। यह गंभीर चिन्ता का विषय है। इस क्षेत्र के देशों को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपनी शक्ति क्षेत्रीय स्थायित्व स्थापित करने और परस्पर सहयोग बढ़ाने में लगा सकें। इस क्षेत्र के साधन विशाल हैं और उनका इस्तेमाल यहां के लोगों की खुशहाली के लिए किया जाना चाहिए। इन देशों को महाशक्तियों की अपनी होड़ों का शिकार बनाया जाना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। शासन का इरादा है कि वह इस सारे क्षेत्र की खुशहाली के लिए आपसी परामर्श और सहयोग की कार्रवाई शुरू करेगा।

पड़ोसी देशों के साथ सरकार आपसी सहयोग और मित्रता की नीति अपनाना चाहती है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सामान्य हो रहे हैं और सरकार उस रास्ते पर चलते रहना चाहती है जिसकी शुरुआत 1972 के शिमला समझौते के साथ हुई थी। हमें उम्मीद है कि सरकार की नीति का समुचित आदान-प्रदान हो सकेगा।

भारत-चीन संबंधों का सामान्य रहना स्थायित्व के लिए बड़ा जरूरी है। जाहिर है कि इस दिशा में की गई कोशिशें चीन-वियतनाम युद्ध के परिणामस्वरूप प्रभावित हुईं। चीन के साथ सीमा-विवाद सहित अन्य सभी मामलों पर विचार करने के लिए भारत अब भी इच्छुक है ताकि समानता पर आधारित कोई शांतिपूर्ण हल निकाला जा सके। हम आशा करते हैं कि द्विपक्षीय आदान-प्रदान के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे।

वियतनाम के साथ हमारी मैत्री हमारी नीति का एक स्थिर तत्व रही है। हम चाहते हैं कि कम्पूचिया किसी बाहरी दबाव के बिना स्वयं अपने भविष्य को निर्धारित करे। दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्य-राष्ट्रों के प्रति हमारे मन में सद्भावना और सौहार्द है। हम चाहते हैं कि इन संबंधों में और सुधार हो। दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में आपसी विश्वास का बल तथा तनावों का ढीला होना आवश्यक है।

लैटिन अमरीकी देशों अथवा राष्ट्रमंडल के दूरस्थित देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में भौगोलिक दूरी हमारे लिए बाधक नहीं हुई है। जापान और यूरोपीय देशों के साथ हमारे संबंध व्यापक और एक-दूसरे के लिए संतोषजनक हैं।

उपनिवेशवाद और प्रजातिवाद के विरुद्ध संघर्ष में हम अपने अफ्रीकी बन्धुओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़े हैं। अरब आन्दोलन के साथ हमारी हमदर्दी सिद्धांतों पर आधारित है और हमारा विश्वास है कि अपने वतन के लिए फिलिस्तीनियों की वैध मांग को पूरा किए बिना पश्चिमी एशिया की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता।

सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध बढ़े हैं। ये संबंध ऐसी स्थायी मित्रता पर आधारित हैं जो भरोसे और आपसी मेलजोल की खूबियों को साबित करती है। हम चाहते हैं कि यह सहयोग और बढ़े और फले-फूले।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे बहुमुखी संबंध हैं। दोनों देशों के लोकतांत्रिक होने के कारण हम कुछ समान मूल्यों का आदर करते हैं। इन्हें देखते हुए हमें भरोसा है कि ये संबंध और भी सुदृढ़ होंगे। हम आशा करते हैं कि हम दोनों इस प्रदेश में विकास और सहयोग के साथ-साथ शांति और स्थायित्व स्थापित करने के प्रयासों में एक-दूसरे के सहयोगी हो सकेंगे।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया-उर्रहमान अभी भारत आकर गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी जिस्कार दोस्तां इस वर्ष गणतन्त्र दिवस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि होंगे। आस्ट्रिया के चांसलर क्रेइस्की और क्यूबा के राष्ट्रपति कास्त्रो शीघ्र ही हमारे यहां आ रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस प्रकार के आदान-प्रदान अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों को खासतौर से मजबूत बनाते हैं।

माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र अल्पकालिक होगा। आपको अत्यावश्यक विधायी कार्यक्रम संपन्न करना है जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो-इंडियनों के लिए विधानमंडलों में आरक्षण जारी रखने के लिए संविधान में संशोधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

अगले पांच वर्षों के कार्यकाल में आपके विचार के लिए कई मुद्दे आएंगे। एक स्वस्थ और क्रियाशील संसदीय लोकतंत्र सुनिर्धारित नियमों को लेकर चलता है। सरकार और विपक्ष के बीच परस्पर आदर का भाव होना जरूरी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों का सामंजस्य अनुकूलन और मेलमिलाप की भावना से हो, न कि परस्पर प्रतिरोध और मुकाबले की भावना से। सदन के सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है कि वे गए दिनों के विवादों और संघर्षों को भुला दें। जनता की सेवा और राष्ट्रीय हितों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वे देश के सामने जो बहुत जरूरी काम हैं उनमें सहयोग और सामंजस्य की भावना से जुट जाएं। मेरी कामना है कि आपके प्रयास सफल हों।

जय हिन्द।